न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 25/2014
वाद दायरी दिनांक : 10/02/2014
निर्णय दिनांक : 11/12/2019

1. बनवारीलाल पुत्र लालाराम जाति बलाई निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. रमेशचन्द पुत्र श्री लालाराम जाति बलाई निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. सुशीला देवी पुत्री श्री लालाराम
2. सीताराम पुत्र लालाराम
3. लालाराम दत्तक पुत्र भूरा

} समस्त जातियान बलाई निवासी गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जयपुर राज0।

4. रामप्यारी देवी पत्नि श्री चुन्नीलाल जाति बलाई निवासी गुढाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासना

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 11/12/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व तकासना इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण की मौरूसी मुश्तर्का आराजी खतौनी संख्या 80 के आराजी खसरा नम्बर 2013 लगायत 2021, 2023 लगायत 2028 कुल किता 15 रकबा 15.37 है0 में हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 3 के नाम दर्ज 4/76 एवं प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज हिस्सा 15/76 वाके ग्राम गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजीयात वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट द्वारा काल्या व भूरा पि0 काना

सहायक कलक्टर
दूदू

Scanned by CamScanner

जाति बलाई के नाम से जारी किया गया जिसके पुराने खसरा नम्बर 309 एवं 877 कुल किता 2 कुल रकबा 61 बीघा का पर्चा आया था। जिस पर स्व0 काल्या एवं भूरा ने अपने फौत होने से पूर्व विवादित आराजीयात को अपने अन्य दो भाईयों को उनका 1/2 हिस्सा दे दिया था और अपने जीवन काल में आराजी का उपयोग उपभोग करते रहे, करीब 40 वर्ष पूर्व भूरा का स्व0 हो गया था जिसका आराजी में 1/4 हिस्सा दर्ज था। जो मृत्यु पश्चात पत्नि जमना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। स्व0 भूरा की विरासत का नामान्तकरण धर्मपत्नि जमुना के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 भूरा दत्तक पुत्र होने के बावजूद वरवक्त नामान्तकरण नहीं खोला गया जबकि स्व0 भूरा की सम्पूर्ण आराजी में भूरा के फौत होने पर 1/3 हिस्सें का हिस्सेदार रहा है एवं गंगा ने भी अपने हिस्से का हकत्याग प्रतिवादी संख्या 3 के हक में कर दिया था, परन्तु जब तक जमुना जीवित रही सम्पूर्ण आराजी जमुना के नाम दर्ज चली आ रही थी। स्व0 भूरा की धर्मपत्नि जमुना ने अपने जीवनकाल में जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10/07/2006 को प्रतिवादी संख्या 4 को अपने दर्ज हिस्से 1/4 में से 15/76 हिस्से का बैचान खसरा नम्बर 877/1 रकबा 60 बीघा 16 बिस्वा में से व 877/2 रकबा 3 बिस्वा में से कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 948 भरा गया जबकि स्व0 जमुना ने अपने 1/3 हिस्से से अधिक का विक्रय किया है स्व0 जमुना की मृत्यु के पश्चात फौती नामान्तकरण विरासत के आधार प 27/12/2007 एवं हकत्याग दिनांक 18/05/2010 के आधार पर दिनांक 05/10/2010 को जरिये नामान्तकरण संख्या 94 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4/76 हिस्से का हिस्सेदार चला आ रहा है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण प प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। विवादि आराजीयात में वादी संख्या 1 का 1/5, वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवा संख्या 1 का 1/5, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1, हिस्से अनुसार मौके पर बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे है जिनके म तकासमा बाय मिट्स एण्ड बोण्ड्स किया जाकर खाता अहलदा किया जाकर फेटब किये जाने हेतु दावा पेश किया है। स्व0 जमुना के अपने जीवनकाल में वादीगण जानकारी में बगैर विवादित आराजी से जो विक्रय पत्र दिनांक 10/07/2006 बन गया था निम्न कारणो के आधार पर मुकाबले बातिल एवं बेअसर है। प्रतिवादी सं 2, 3 ने वादीगण के विरूद्ध साजिश रचकर लालाराम के नाम चली आ रही आराजी को चुपचाप में विक्रय किरने पर आमादा है। जिसकी जानकारी वादीगण

Scanned by CamScanner

होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 3 को मना किया जिससे वादीगण को दिनांक 03/02/2014 को प्रतिवादी संख्या 3 ने ऐलानियां धमकी दी कि आराजी का विक्रय करके ही दम लूंगा, जिससे उक्त वाद–पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावें कि आराजी खतौनी संख्या 80 के आराजी खसरा नम्बर 2013 लगायत 2021, 2023 लगायत 2028 कुल किता 15 रकबा 15.37 हैक्टेयर वाके ग्राम उगरियावास में प्रतिवादी संख्या 3, 4 के दर्ज हिस्से में से 1/5, 1/5 हिस्सा के वादीगण खातेदार काश्तकार है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार मौजमाबाद को भिजवाई जावें। विवादित आराजीयात का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स किया जाकर खाते की फेटबन्दी करवाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 16/06/2014 वादी ने दस्तावेज गोदनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

दिनांक 26/10/2016 को वादी की ओर से साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 बनवारीलाल, पी.डब्ल्यू.2 रामनारायण, पी.डब्ल्यू.3 रमजान के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर बयान लिये गये। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया गया। अतः साक्ष्य वादी बन्द की गयी। दिनांक 21/11/2016 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0 दी0 पेश किया गया। दिनांक 04/01/2017 को वकील वादी की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 पर बहस सुनी गयी। बाद बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 06 नियम 17 जा0 दी0 स्वीकार किया गया। वाद–पत्र में लाल स्याही से संशोधन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी खतौनी सख्या 80, 25, सम्वत 2070–2073, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस, नकल भू प्रबन्ध सैटलमेन्ट, नकल नामान्तरकरण

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) मुद्द

Scanned by CamScanner

संख्या 948, 94, साक्ष्य गवाहान आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029 में साबिक खसरा नम्बर 308 व 877 में पर्चा खोदार काल्या व भूरा पि. काना कौम बलाई के नाम से आना पाया जाता है, जो जरिये विरासत भूरा की फौती पर उसकी पत्नी जमना को प्राप्त हुई है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा के अनुसार लालाराम जमुनादेवी का दत्तक पुत्र होना पाया जाता है, उक्त गोदनामा दिनांक 27/12/2001 उपपंजीयक दूदू के यहां पंजीबद्ध किया गया हैं जिससे यह पाया जाता है कि गोदनामा के अनुसार लालाराम के नाम से भी नामान्तरकरण खुलना चाहिये था। वादीगण लालाराम के वारिशान है। इसलिये कानूनन दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत लालाराम जमुना एवं भूरा का एकमात्र वारिश था इसलिये उसके नाम से भी नामान्तरकरण खुलना चाहिये था। जमुना ने अपने जीवनकाल में जो विक्रय–पत्र प्रतिवादी संख्या 4 के हक में किया गया है, वह अपने हक व हिस्से से अधिकर बढकर किया है, जबकि कानूनन वह अपने 1/3 हिस्से तक ही विक्रय–पत्र करवा सकती थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादीगण के वाद की ताईद होती हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 80 के आराजी खसरा नम्बर 2013 लगायत 2021, 2023 लगायत 2028 कुल किता 15 कुल रकबा 15.37 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम उगरियावास, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के दर्ज हिस्से में से वादीगण को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जिला जयपुर) राज0।

आदेश दिनांक 24/12/19 के अनुसार पृष्ठ सं. 3 के पैरा सं० 2 में व पृष्ठ सं० 4 के अन्तिम पैरा में दर्ज ग्राम उगरियावास के स्थान पर गुढाबैरसल पढा जावे। तथा पृष्ठ सं० 3 के अन्तिम पैरा में अंकित खतौनी सं० 25 को हजफ किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

डिग्री मुकद्दमा इन्फसाली

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (F.T.) दूदू
(श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत RAS)

[illegible] लाल 2. रमेशचन्द बनाम 1. सुशीला देवी D/O लालाराम 2. सीताराम
[illegible] लालाराम दावा बाबत बटवारा काश्तकारी 3. लालाराम दत्तकपुत्र ...
मुकदमा न. 25/2014 सन 4. रामप्यारी देवी W/O चुन्नीलाल

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्रसिंह मण्डावत ... ADR MOG

मिनजानिब मुदई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 80 के आराजी ख० नं० 2013 लगायत 2021, 2023 व 2078 कुल किता -15 कुल रकबा 15.37 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से में से वादीगण को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुकदमा ... और मुद्दायलह ... की अदा करे।

रूबरू हस्ताक्षत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 12 - 2019 को

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुदई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
... वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...ना वकील			खर्चा गवाहान		
...वाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
...क					
मीजान			मीजान		

...स खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

नोट:- आदेश दिनांक 24/12/19 के अनुसार वादे ग्राम उगरियावास के स्थान पर गुढाबैरसल पढा जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू